THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND WORKS AND HOUSING (SHRI BHISHMA NARAIN SINGH): (a) Yes, Sir.

(b) and (c). The Delhi Development Authority has reported that the land is under unauthorised occupation of Shri Laxmi Chand S/o Shri Rameshwar Dayal Since 1972. The Delhi Development Authority has also stated that action has been initiated under the provisions of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 to get the premises vacated.

Edible Oil Import Policy

34. SHRI SANAT KUMAR MANDAL: Will the Minister of CIVIL SUPPLIES be pleased to state:

(a) whether Government have by now finalised their edible oil Import Policy for the next year;

(b) if so, whether he will lay on the Table a copy thereof; and

(c) whether Government have taken any steps to take out all imports of such oil from private traders who had in the past made huge profits therefrom and if so, what?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES (SHRI BRAJA MOHAN MOHANTY): (a) to (c). The Edible Oil Import Policy for the next Oil-Year 1981-82 (November 1981-October 1982) is in the process of being finalised shortly. All imports of edible oils on Government account are canalised through the State Trading Corporation of India Ltd.

दुर्भिक्ष के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए राजस्थान को एक केन्द्रीय दल

35. श्री अशोक गहलोत : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में दुर्भिक्ष के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए इस वर्ष केन्द्रीय अध्ययन दल कितनी बार वहां पर भेजे गये और उनके द्वारा पेश किये गये प्रतिवेदनों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) उपरोक्त प्रतिवेदनों के आधार पर कुल कितने जिलों तथा गांवों को अभाव क्षेत्र घोषित किया गया ; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा प्रत्येक मद के लिये कितनी सहायता दी जा चुकी है और निकट भविष्य में कितनी राशि दी जानी है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन): (क) एक केन्द्रीय दल ने चालू वर्ष के मानसून से पहले पड़े सूखे के सम्बन्ध में 15 से 18 अप्रैल, 1981 तक राजस्थान का दौरा किया था। इस दल ने सूखे से प्रभावित लोगों के राहत और पुनर्वास के लिए 3392.80 लाख रुपये के व्यय की अधिकतम सीमा की सिफारिश की थी। सिफारिश की गई इस राशि में पेय-जल के लिए प्रबन्ध, अतिरिक्त लाभप्रद रोजगार प्रदान करने के लिए कार्यों में तेजी लाने, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के लिए विशेष सहायता, सूखे से प्रभावित गांवों में छोटे और सीमांत किसानों को कृषि आदानों की सप्लाई के लिए राज सहायता देने और सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में बच्चों और दूध पिलाने वाली माताओं/गर्भवती महिलाओं के पोषक आहार कार्यक्रम को विशेष सहायता देने की व्यवस्था करना भी शामिल है।

(ख) राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार को भेजे गये ज्ञापन में यह उल्लेख किया गया था कि राज्य के सभी 26 जिलों के कुल 21369 गांव मानसून से पूर्व पड़े सूखे से विभिन्न मात्रा में अभाव से प्रभावित हुए थे।

(ग)	गैर योजना	लाख रुपये
1.	निशुल्क राहत	10.00
2.	सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल का प्रबन्ध करना, जिसमें परिवहन के विभिन्न साधनों से पेयजल का परिवहन करने तथा 25 ट्रक टैंकरों की खरीद/विद्यमान कुओं को गहरा करने और उनसे गाद निकालने की व्यवस्था करना शामिल है।	208.00
3.	सूखा प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं का संरक्षण और चारे का प्रबन्ध	185.00
	कुल (क) गैर योजना	403.00
योजना		
1.	रोजगार तैयार करने वाली योजनाएं	1575.00
2.	सूखा प्रभावित क्षेत्रों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के के लिए विशेष सहायता	600.00
3.	पेय जल सम्बन्धी व्यवस्था के लिए प्लान स्कीमें, जैसे पम्प लगाना/ 53 समन्वेषी नलकूपों का विद्युतीकरण / नए कुंए खोदना / जलआपूर्ति योजनाओं को पूरा करना/ 100 सामुदायिक तालाबों का निर्माण।	582.00
4.	सूखा प्रभावित क्षेत्रों में काश्तकारों को चारा उगाने के लिए/ पंचायतों और गौशालाओं द्वारा उच्च वंशावली वाले सांडों के रख रखाव के लिए राज-सहायता	32.80
5.	छोटे और सीमान्त किसानों को कृषि आदानों के लिए राज सहायता	109.00
6.	सूखा प्रभावित क्षेत्रों में बच्चों और दूध पिलाने वाली / गर्भवती माताओं के लिए पोषाहार आहार कार्यक्रम का विस्तार करना	100.00
	योग (ख)	2989.80
	कुल योग (क+ख)	3392.80

यह राशि केन्द्रीय दल की रिपोर्ट और राहत सम्बन्धी उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के आधार पर मंजूर की गई है। इस राशि का मानसून से पूर्व पड़े सूखे की स्थिति का सामना करने के लिए पर्याप्त समझा गया। तथापि, राज्य सरकार ने हाल ही में रोजगार सृजन योजना के अन्तर्गत व्यय की अतिरिक्त अधिकतम सीमा के लिए अनुरोध किया है और इस प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

कैलाश नगर (गांधी नगर) दिल्ली में जल सप्लाई

36. श्री **धर्मदास शास्त्री** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कैलाश नगर (गांधी नगर) दिल्ली में हैण्डपम्पों के खराब हो जाने के कारण कालोनी के निवासियों को काफी समय से पानी की सप्लाई नहीं मिल रही है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि वहां पर हैंडपम्पों से मिलने वाला पानी पीने योग्य नहीं है ;

(ग) कैलाश नगर के निकट की कालोनी गांधी नगर तक बिछाये जा चुके पानी के पाईपों को आगे कैलाश नगर तक बिछाने में कितना समय लगेगा ; और

(घ) इस कालोनी के निवासियों को पीने का साफ पानी कब से मिलने लगेगा ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) और (ख) दिल्ली नगर निगम के दिल्ली जलपूर्ति तथा मल व्ययन संस्थान ने सूचित किया है कि कैलाश नगर में इस विभाग द्वारा हैण्डपम्प नहीं लगाये गये थे।

(ग) और (घ). दिल्ली जलपूर्ति तथा मल व्ययन संस्थान ने सूचित किया है कि कैलाश नगर के निवासियों से आवश्यक विकास प्रभारों की प्राप्ति के बाद वहां पानी के मुख्य नल बिछाए जा सकते हैं।

DDA Flats/Plots alloted to M.Ps., ex-M.PS. and Judges of Delhi High Court and Supreme Court

37. SHRI K. T. KOSALRAM: Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to state:

(a) the number of M.Ps. and ex-M.Ps who have been allotted by the DDA flats under different categories, from the date of inception of DDA till date;

(b) the names of Cooperative Societies of ex-M.Ps which have been allotted lands in the Capital and the acreage and location of such plots allotted to the Cooperative Societies; of M.Ps; and

(c) whether the DDA has also allotted any plot to the Judges of Delhi High Court and the Judges of Supreme Court, as has been done in Bombay by the Government of Maharashtra?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND WORKS AND HOUSING (SHRI BHISHMA NARAIN SINGH): (a) to (c). Information is being collected and will be laid on the table of the Sabha.

Damage of Paddy Crop in West Bengal

38. SHRI NARAYAN CHOUBEY: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether Government are aware of very heavy damage to paddy crop in West Bengal due to attack from insects;